


निग / 2870/PBR/15 (2)

समाध न्यायालय राजस्व भण्डल ग्वालियर संस्था भोपाल म.प्र.



महेश प्रजापति, आ० शंकरलाल प्रजापति

निवासी ग्राम वधवाडा तहसील डोलरिया

जिला होशंगाबाद

----- रिक्वीजनकर्ता

विरुद्ध

श्रीमती सहोदराबाई पत्नी रामभाउ लोधी

निवासी ग्राम वधवाडा तहसील डोलरिया

जिला होशंगाबाद

----- गैर रिक्वीजनकर्ता

रिक्वीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता.

रिक्वीजनकर्ता की ओर से निम्न निवेदन है :-

1. यह कि, आवेदक/ रिक्वीजनकर्ता आवेदन पत्र में वर्णित पते का मूल निवासी होकर निवेदन करता है कि उसके अधिकार व स्वामित्व की पैत्रिक भूमि जिश्का खसरा नंबर 380 रकबा 1.076 हेक्टेयर स्थित मौजा ग्राम वधवाडा तहसील डोलरिया जिला होशंगाबाद में विगत पूर्वजों के समय से काब्जि होकर काजत करता चला आ रहा है। गैर रिक्वीजनकर्ता ने अपने अधिकार व शोधिमत्य की भूमि की सीमाओं का ज्ञान न होने

श्रीमती सहोदराबाई  
पत्नी रामभाउ लोधी  
निवासी ग्राम वधवाडा  
तहसील डोलरिया  
जिला होशंगाबाद



29.9.2015

अग्रज

आवेक की ओर से श्री  
 शैलेन्द्र जी अभिभावक उपस्थित।  
 आवेक की ओर से निकेतन पर  
 अपा क्वेश्चर डाटा लप्रेबा से  
 निगरानी में आदेश पालन का  
 सीमांकन स्थिर रखा गया है।  
 अतः इस निगरानी के त्राह्य  
 करने का औचित्य नहीं होने  
 से अत्राह्य की जाती है।

अग्रज

अध्यक्ष

कौन्सिलर A

9